गन्ना उगाना बंद कर देंगे किसान

उनका बकाया चुकाने के नाम पर मिला पैसा चीनी मिल मालिकों की जेब में ही रह जाता है

धर्मेंद्रपाल सिंह

खेतों में उगता है कर्ज और अपमान

गन्ना किसानों की बकाया रकम के भुगतान के नाम पर सरकार ने मिल मालिकों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है। इन उपायों से चीनी के दाम बढ़ने लाजिमी हैं। अच्छे दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे आम आदमी को सरकार के इस निर्णय से धक्का लगा है। गन्ने का पेराई सीजन समाप्त हो गया है, फिर भी मिल मालिकों पर किसानों का लगभग 8500 करोड़ रुपया बकाया है।

सरकार का तर्क है कि उसने किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिल मालिकों को 4400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और निर्यात पर 3300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। मोटे तौर पर मोदी ने मनमोहन सरकार की नीति को ही आगे बढ़ाया है। पिछले साल गन्ने के दाम को लेकर जब किसानों और मालिकों में सीधे टकराव की स्थिति आई थी, तब यूपीए सरकार ने चीनी मिलों को सब्सिडी तथा ब्याज मुक्त कर्ज देकर बीच-बचाव किया था। मिलों ने किसानों को समय पर भुगतान का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। दिलचस्प बात यह कि सरकार ने पैकेज दोबारा दे दिया, लेकिन किसानों की बकाया रकम के भुगतान की अब भी कोई गारंटी नहीं है।

कीमतों का फॉर्म्युला

भुगतान के झंझट से तंग आकर उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस बार गन्ना बुआई का रकबा घटा दिया है। देश के चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान एक तिहाई है। यदि इस राज्य में गन्ने की पैदावार घटेगी तो इसका असर दूर तक जाएगा। आज चीनी उत्पादन में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर ही नहीं है, निर्यात से करोड़ों रुपए कमाता भी है। दुर्भाग्य से देश में गन्ने की कीमत तय करने का कोई देशव्यापी फॉर्म्युला निश्चित नहीं है। हर राज्य में किसानों को अलग-अलग मूल्य मिलता है।

इसके अलावा गन्ना बेचने के दो-दो साल बाद तक मिलों की ओर से किसानों को भुगतान नहीं होता। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट, सहकारी और सरकारी चीनी मिलें हैं जबकि दूसरे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों का जाल बिछा है। ये मिलें कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना नेताओं के नियंत्रण में हैं। तीन माह बाद इस राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। निश्चय ही सरकार के ताजा फैसलों से महाराष्ट्र की शुगर लॉबी को फायदा होगा और इसका कुछ न कुछ असर चुनाव पर भी पड़ेगा।

> यूपीए सरकार की तरह मोदी सरकार ने भी चीनी मिलों को सब्सिडी बांट दी, लेकिन किसानों का बकाया आज भी ज्यों का त्यों है

देश में करीब 40 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना बोया जाता है। पांच करोड़ किसान इस नकदी फसल की पैदावार पर निर्भर हैं। गन्ना उद्योग से 20 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलता है। मोटे तौर पर प्रति हेक्टेयर 70 टन गन्ना पैदा होता है। पिछले साल देश में 2.51 करोड़ टन चीनी बनी जो घरेलू खपत (2.3 करोड़ टन) को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इस साल भी चीनी उत्पादन लगभग 2.5 करोड़ टन हुआ है। भारत में दो-तिहाई गन्ने से चीनी और शेष एक तिहाई से गुड़ और खांडसारी बनती है, जिसकी खपत ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है। ब्राजील और भारत दुनिया के अग्रणी गन्ना उत्पादक देश हैं, लेकिन हमारे यहां चीनी की खपत ब्राजील की दोगुनी है। आज देश में चीनी उद्योग लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का है और इस पर आए संकट को नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा।

मिल मालिकों का दावा है कि पिछले तीन साल में गन्ने की कीमत 70 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि चीनी का मूल्य केवल आठ फीसदी बढ़ा है। अक्टूबर 2012 में चीनी का भाव 37 रुपए प्रति किलो था जो आज घटकर 30-31 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। मौजूदा गन्ना मूल्य पर एक किलो चीनी बनाने की लागत 30 से 31 रुपए के बीच आती है। चीनी मिल मालिकों का सवाल है कि ऐसे में मिल चलाना कैसे संभव है? दूसरी ओर किसानों का तर्क है कि महंगाई के कारण एक साल में गन्ने के लागत मूल्य में 23 फीसदी इजाफा हो चुका है। इसलिए गन्ने की कीमत कम से कम इतनी तो बढ़ाई ही जानी चाहिए।

मिलों की मुश्किलें

गन्ने की कीमत तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार ने सी रंगराजन कमेटी गठित की थी जिसने, गन्ना व्यापार के उदारीकरण की सिफारिश करते हुए आठ सुझाव दिए। कमेटी ने खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी जारी करने की व्यवस्था समाप्त करने को कहा था, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में मंजूर कर लिया था। लेकिन गन्ने की कीमत तय करने पर विवाद अभी तक बना हुआ है। राज्य सरकारें और किसान रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ हैं, जबकि मिल मालिक उसे लागू करना चाहते हैं।

आज अधिकांश चीनी मिलों की साख गहरे संकट में है। इसके चलते सरकारी बैंक उन्हें ऋण देने में झिझक रहे हैं। सरकार के निर्देश पर यदि इन बैंकों ने कर्ज दे दिया और चीनी मिलें उसे चुका नहीं पाईं, तब भी नुकसान जनता का ही होगा। आखिर बैंक में पैसा जनता का ही जमा होता है। साफ है कि तात्कालिक राहत का नजरिया अपनाने से बात नहीं बनेगी। बेहतर होगा कि किसी खास लॉबी को खुश करने की कोशिशों में उलझने के बजाय सरकार इस मामले में सुविचारित और दीर्घकालिक योजना तैयार करके आगे बढ़े।

Skundan/Durgadatt pand

बढ़ गई चीनी की कीमत

वभारत टाइम्स
26/6/14